जी20 में दुर्लभ खनिज पुनर्चक्रण पहल का प्रस्ताव

जोहानिसबर्ग, 22 नवंबर (भाषा)।

दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में भारत ने शनिवार को दुर्लभ खनिजों के दोबारा उपयोग संबंधी पहल का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य पुनर्चक्रण, शहरी खनन, सेकंड-लाइफ बैटरियों और संबंधित नवाचारों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि देश पूरी तरह से सतत और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध है।

मोदी ने जोहानिसबर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में 'मुक्त उपग्रह आंकड़ा साझेदारी' स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसके तहत जी20 की अंतरिक्ष एजंसियों के उपग्रह डेटा और विश्लेषण को 'ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ' बनाया जा सकेगा।' 'ग्लोबल साउथ' उन देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो विकासशील या कम विकसित हैं और ये अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित हैं। जी20 का दूसरा सत्र 'एक लचीला विश्व-जी20 का योगदानः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण, खाद्य प्रणालियां' विषय पर आयोजित किया गया।

आस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ भारत की साझेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन से इतर आस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक के बाद एक नई त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की घोषणा की। मोदी ने आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में कहा, 'हमें आज आस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसीआइटीआइ) साझेदारी की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है।' उन्होंने कहा, 'यह पहल उभरती प्रौद्योगिकियों में तीन महाद्वीपों और तीन महासागरों में फैले लोकतांत्रिक साझेदारों के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करेगी, साथ ही आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता, स्वच्छ ऊर्जा और कृत्रिम मेधा (एआइ) के व्यापक उपयोग में मददगार साबित होगी।'

नई दिल्ली

GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालयः पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
ब्रांच ऑफ यूनिटः यूनिट नंबर 201 और 202, द्वितीय तल, के4, ओशन हाइट्स, सेक्टर 18, नोएडा यूपी - 201301

ई-नीलामी बिक्री सूचना
(सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता (ओं)/गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे अधिनियम के अनुसार यहाँ 'सुरक्षित श्रेयदाता' कहा जाएगा) को बंधक के रूप में रखा गया है, जिनका अधिग्रहण सुरक्षित श्रेयदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदान शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों की नियमावली 8 और 9 के साथ अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार किया गया है। सुरक्षित संपत्तियां ई-नीलामी के माध्यम से 26/12/2025 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया जीएचएफएल/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **www.grihumhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

क्रं. सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए}	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति {सी}	संपत्ति का विवरण {डी}	आरक्षित मूल्य {ई}	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिषत) {एफ}	ईएमडी जमा करने की तारीख {जी}	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {आई}	नीलामी की तारीख और समय {जे}	बाधाएँ/ न्यायालय मामले, यदि कोई ज्ञात हों तो {के}
1	ऋण संख्या HL006051000000050 38221 शिवा गुप्ता (उधारकर्ता) ज्योति बिंदाल (सह-उधारकर्ता)	सूचना की तिथिः 08/08/2025 कुल बकायाः रु.912170/- (केवल नौ लाख बारह हजार एक सौ सत्तर रुपये) 08-08-2025 तक देय, साथ ही वसूली तक 13.35% प्रति वर्ष ब्याज भी देय।	भौतिक	खसरा संख्या **408a** और **408b** में स्थित एक आवासीय भूखंड संख्या बी-31 और बी -32 के हिस्से का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 84.72 वर्ग मीटर है, जो ग्राम सुंदरपुर उर्फ पठानपुरा, परगना, तहसील और जिला मेरठ में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व- श्रीमती वाणी गोस्वामी का भूखंड। पश्चिम- 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- श्रीमती आबिदा बेगम का भूखंड, दक्षिण-श्रीमती सरोज देवी का भूखंड।	1236900/- रुपये (केवल बारह लाख छत्तीस हजार नौ सौ रुपये)	123690/- रुपये (एक लाख तेईस हजार छह सौ नब्बे रुपये मात्र)	24-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	19-12/2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	26-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य
2	ऋण संख्या HL006591000000050 27359 संजय (उधारकर्ता) मांगीता देवी (सह-उधारकर्ता)	सूचना की तिथिः 09/07/2025 कुल बकायाः रु.1933307/- (केवल उन्नीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ सात रुपये) 09-07-2025 तक देय, साथ ही वसूली तक 13.35% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय।	भौतिक	प्लॉट एरिया का वह पूरा हिस्सा जिसका माप 100 वर्ग यार्ड है, जो खसरा नंबर 211 खा में आता है, चिपयाना खुर्द, दादरी, गौतम बुद्ध नगर में है (इसके बाद इसे उक्त प्रॉपर्टी कहा जाएगा)। सीमाःमौका पटवारी के अनुसार पूर्वः दूसरे का प्लॉट, पश्चिमः मकान नाथे, उत्तरः सड़क 18 फीट चौड़ी, दक्षिणः मकान गोवर्धन माप एरियाः कुल एरिया 100 वर्ग यार्ड	रु. 20 47500/- (रुपये बीस लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ सिर्फ)	204750/- रुपये (दो लाख चार हजार सात सौ पचास रुपये मात्र)	24-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	19-12/2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	26-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य
3	ऋण संख्या HL006591000000050 48514 ज्योत्सना ज्योत्सना (उधारकर्ता) सतीश धवन सिंह (सह-उधारकर्ता)	सूचना की तिथिः 08/08/2025 कुल बकायाः रु. 31,43,775/- (ईकतीस लाख तैंतालीस हजार सात सौ पचहत्तर केवल) 08-08-2025 तक देय साथ ही प्राप्ति तक वार्षिक 13.35% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय।	भौतिक	फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति का वह सभी भाग और हिस्सा, जिसका प्लॉट नंबर 53 और 68 है, क्षेत्रफल 213 वर्ग गज यानी 178.08 वर्ग मीटर, खाता संख्या 139 और खसरा नंबर 674 में स्थित, हरेंदर नगर, गाँव महावाड़, प्रयाग और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, यूपी में स्थित, जिसे आगे 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया गया है। और संपत्ति की सीमाएँ: पूर्व - रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिम - रास्ता 18 फीट चौड़ा, उत्तर - रास्ता 21 फीट चौड़ा, दक्षिण - प्लॉट नंबर 34 और 67।	रु. 322 3632/- (रुपये बत्तीस लाख तेईस हजार छह सौ बत्तीस सिर्फ)	रु. 322363.20/- (रुपये तीन लाख बाईस हजार तीन सौ तिरसठ और बीस पैसे केवल)	24-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	19-12/2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	26-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य
4	ऋण संख्या HL006491000000502 9141 चुन चुन झा (उधारकर्ता), अनिता देवी (सह-उधारकर्ता) शिलानाथ झा (सह-उधारकर्ता)	सूचना की तिथिः 08/08/2025 कुल बकायाः रु. 20,41,672/- (बीस लाख इकतालीस हजार छह सौ बहत्तर मात्र) देय है 08-08-2025 तक, साथ ही 12.35% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय।	भौतिक	फ्रीहोल्ड रेसिडेंशियल फ्लैट संख्या एसएफ-02, दूसरा तल, डप्ळ, त्रै, आगे की तरफ, छत के अधिकारों के साथ, क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट, प्लॉट संख्या बी-1/9 पर निर्मित, जो डीएलएफ अंकुर विहार गाँव लोनि चकबंदी बहार, परगना और तहसील लोनि, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित हैः (इसे आगे कहा गया संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया)। सीमा अनुसारः- पूर्व- प्लॉट संख्या बी-1/10, पश्चिम- प्लॉट संख्या बी-1/8, उत्तर- अन्य मालिक, दक्षिण- 12 मीटर चौड़ा मार्ग	रु. 1417500/- (रु. चौदह लाख सत्रह हजार पाँच सौ मात्र)	141750/- रुपये (एक लाख इकतालीस हजार सात सौ पचास रुपये मात्र)	24-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	19-12/2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	26-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है और नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पता- प्लॉट नंबर-68 तीसरी मंजिल गुड़गांव हरियाणा-122003 से लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है। हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी . **Support@bankeauctions.com,** संपर्क व्यक्ति -धरनी पी, ईमेल आईडी- **dharani.p@c1india.com** संपर्क नंबर- 9948182222। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उनसे ही ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड", बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नीलामी आय खाता", बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के खाते में जमा करनी होगी। खाता संख्या- 091551000028 और **IFSC** कोड- **ICIC0000915** शाखा पता - आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43ध्44 विमान नगर - 411014 किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में 24-12-2025 को या उससे पहले खींचे और अपना नाम **https://www.bankeauctions.com** पर पंजीकृत करें और मुफ्त में उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करने, ई-मेल करने और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी को पते पर भेजने की आवश्यकता होती हैः ऑफिस नंबर यूनिट नंबर 201 और 202, दूसरी मंजिल, के4, ओशन हाइट्स, सेक्टर 18, नोएडा यूपी - 201301 मोबाइल नंबर +.91 9567626050 ई-मेल आईडी **rahul.r1@grihumhousing.com**. नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ई-नीलामी में भाग लेने के लिए **https://www.bankeauctions.com** और **www.grihumhousing.com** पर जाएं।

इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को दिया गया 30 दिनो का नोटिस भी माना जाना चाहिए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की विवरण में कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की विवरण मान्य होगी।

दिनांकः 23.11.2025 स्थानः : दिल्ली — **हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

SMFG India Credit — एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते, जिसका पंजीकृत कार्यालय कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ले रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116 में है और कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051 में है, प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत वित्तीय आस्तियां और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 20/08/2025 को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें ऋण खाता संख्या (ओं) रु 261320911044725 के तहत उधारकर्ता (1) मैसर्स एएस प्लंबिंग ठेकेदार (2) मनभरी देवी (3) अमरसिंह बैरवा को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर 05 अगस्त, 2025 तक नोटिस में उल्लिखित राशि 20,13,460/- (बीस लाख तेरह हजार चार सौ साठ रुपये मात्र) चुकाने के लिए कहा गया।

उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसके द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने 20 नवंबर 2025 को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से निपटने के लिए चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन 05 अगस्त, 2025 तक 20,13,460 /- रुपये (बीस लाख तेरह हजार चार सौ साठ रुपये मात्र) की राशि और उस पर ब्याज के लिए एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) की अनुसूची :

संपत्ति की स्वामिनी - श्रीमती मनभरी देवी

संपत्ति विवरण - घर का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 75 वर्ग गज है, माप 30 फीट बाई 22.5 फीट, आवृत्त क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट, खेवट/खाता संख्या 206/207, 209, एमयू संख्या 121 में से, किला संख्या 2(8-0), 12/1(6-18), 9(8-0), किता 3 क्षेत्रफल 22 कनाल 18 मरला 222/4122 पार्ट बकदार 0 कनाल 2 मरला 41/2 सरसई यानि 75 वर्ग गज वाका सिवाना मौजा सदराना, उप-तहसील हरसौ, जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। साथ ही इस पर सभी वर्तमान और भविष्य के निर्माण कार्य। सीमाएं: पूर्व- दूसरे का प्लॉट, पश्चिम- 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- दूसरे की संपत्ति, दक्षिण- दूसरे की संपत्ति। पंजीकरण संख्या 1865, दिनांक 02/7/2019, बही संख्या 1, खंड संख्या 16, पृष्ठ संख्या 122.25 के माध्यम से पंजीकृत।

दिनाँक : 20-11-2025 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : दिल्ली — **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड**

UGRO CAPITAL — ग्रो कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत।

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है।

मांग नोटिस की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत की गई हैः

क्र.सं.	उधारकर्ता(ओं) के नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1	1) मेसर्स न्यू टेक इंजीनियर्स 2) जावेद 3) जुनेद 4) भारत फर्नीचर लैन - HCFDELMLN00001020895	मांग नोटिस की तिथिः 17-नवम्बर-2025 नोटिस की **राशिः 24,79,747.00/- (रुपये चौबीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ सैंतालीस मात्र)**/- जैसा कि 11/11/2025 को है

सुरक्षित संपत्ति का विवरण (एस):- मॉडलः - STM/VL850/STM ब्रांड सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर मॉडल VL850 स्टैंडर्ड एक्सेसरीज के साथ सीरियल नंबर 2000166 निर्माणकर्ताः- S&T ENGINEERS (P) LTD चालान संख्याः- 222335020

धारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, विलंबित भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि वसूलने के लिए बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः दिल्ली — **हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी)**
दिनांकः 23.11..2025 — **यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए, authorised.officer@ugrocapital.com**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड — IDFC FIRST Bank

(पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टावर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031.
फोन : +91-44 4564 4000. फैक्स : +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

निम्नलिखित कर्जदारों और सह-कर्जदारों ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** से निम्नवर्णित प्रत्याभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्नलिखित कर्जदारों और सह-कर्जदारों के ऋण उनकी संबंधित सम्पत्तियों द्वारा प्रत्याभूत हैं। जबकि वे संबंधित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं तथा अनियमित हो गए हैं, अतः उनके ऋण आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। उनके द्वारा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** को देय राशि संबंधित सूचनाओं में वर्णित की गई है, अधिक विवरण नीचे तालिका में दिया गया है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी देय होगा, जो उनकी संबंधित तिथियों से अनुबंधित दर पर प्रभारित किया जाएगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) सूचना की तिथि	धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	9577490	सम्पत्ति के ऐवज में ऋण	18-01-2025	34,15,578.02/-

कर्जदारों और सह-कर्जदारों का नाम : 1. अजय कुमार 2. फकीर चंद 3. सरला किशनलाल

सम्पत्ति पता :- सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति म्युनिसिपल नंबर 8987, भूमि क्षेत्रफल परिमाप 50.00 वर्ग गज, वार्ड नंबर 14, गली सैनियान, शीदीपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, **निम्नानुसार परिबद्ध - पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : गली, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति,**

आपसे ऊपर तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार बकाया राशि संबंधित तिथियों से अनुबंधित दर पर ब्याज और अन्य लागतों, प्रभारों इत्यादि के साथ **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** को इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** को बकाया राशि की वसूली के लिए इसमें वर्णित बंधक सम्पत्तियों के संबंध में सरफासी अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आप उक्त प्रत्याभूत सम्पत्ति का हस्तांतरण बिक्री/पट्टे अथवा किसी अन्य तरीके से नहीं कर सकते हैं।

हस्ता./- **प्राधिकृत अधिकारी**
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
तिथि : 23-11-2025 — **(पूर्वतः कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**
स्थान : दिल्ली — **के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र — Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय, नोएडा
बी-192/ए, ब्लॉक बी, सेक्टर 52,
नोएडा गौतम बौद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301
Head Office: Lokmangal,1501,Shivajinagar, Pune-5

परिशिष्ट - IV [नियम 9 (1) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित ऋणियों से **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **16.12.2025** को बेचा जाएगा।

क्र0 सं0	ऋणी का नाम	देय राशि	ज्ञात भार के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि
	सहारनपुर शाखा			
1.	**मैसर्स आयुषी बैग पताः- प्रथम तल, कृष्णा मार्केट, किशनपुरा सहारनपुर, पोस्ट व तहसील सहारनपुर जिला सहारनपुर यूपी पिन कोड 247001 श्री मुकेश कपूर पुत्र श्री सुदर्शन लाल कपूर, प्रोप.- मैसर्स आयुषी बैग पताः- प्रथम तल, कृष्णा मार्केट, किशनपुरा सहारनपुर, पोस्ट व तहसील सहारनपुर जिला सहारनपुर यूपी पिन कोड 247001 श्री संजय बब्बर पुत्र स्व0 श्री एच एल बब्बर, पताः-मकान नंबर 5, किशनपुरा सहारनपुर, पोस्ट व तहसील सहारनपुर जिला सहारनपुर यूपी पिन कोड247001**	रु 12,34,665.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च 21.01.2025 से	एम.पी.एल. संख्या 14/1237 का साम्यिक बंधक, स्थित मौहल्ला किशनपुरा, पोस्ट सहारनपुर और तहसील सहारनपुर, जिला सहारनपुर, यूपी, पिन कोड 247001, क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज यानी 92.90 वर्ग फुट, छत के अधिकार के बिना, मालिक श्री मुकेश कपूर, **सीमायें**- पूर्व- सडक, पश्चिम- ज्वाला इलेक्ट्रिकल्स की संपत्ति, उत्तर- रास्ता गली, दक्षिण- महेंद्र पाल सिंह एवं अन्य की संपत्ति **सांकेतिक कब्जा**	रुपये 47,00,000.00 / रुपये 4,70,000.00 / रुपये 10000.00
2.	**अमान कंस्ट्रक्शन प्रोप.- श्री मोहम्मद शाहवेज पुत्र जहीर अहमद, पताः- 1- गली नंबर 8/4 पीर वाली गली इब्राहिमाबाद सहारनपुर पोस्ट व तहसील सहारनपुर जिला सहारनपुर पिन कोड 247001 श्रीमती उज़्मा परवीन पत्नी मोहम्मद तंजीम, पताः- मकान नंबर 11/6231 प